भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ
(भाग–I, खण्ड–1)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
<u>सार्वजनिक सूचना सं. 15/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 03 जून, 2015

विषयः– भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा की सीमा पार सीमा हाट में व्यापार।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैराग्राफ 2.21 के साथ पठित पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत और बांग्लादेश की बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन (एफ ओ यू) के तहत निम्नलिखित प्रबंध करते हैंः–

विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित वस्तुओं को पिलर सं0 2039 के पास कमलासागर, त्रिपुरा (भारत) और ताराप्र कस्बा (बांग्लादेश) में सीमा हाट पर व्यापार करने के लिए अनुमत किया जाएगाः–

(i) स्थानीय रूप से पैदा की गई सब्जियां, खाद्य मदें, फल और मसाले।
(ii) लघु स्थानीय वन्य उत्पाद उदाहरणतया, बांस, बांस की घास और लकड़ी को छोड़कर झाडू।
(iii) स्थानीय कुटीर उद्योग उत्पाद जैसे गमछा, लुंगी आदि।
(iv) स्थानीय रूप से बनाए गए छोटे कृषि घरेलू उपकरण जैसे डाओ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि।
(v) स्थानीय रूप से बनाए गए वस्त्र, मैलेमाइन उत्पाद, संसाधित खाद्य मदें, फ्रूट जूस आदि।

2. उपरोक्त पैरा में 'स्थानीय रूप से पैदा' से तात्पर्य है 'नामित हाट के संबंधित सीमावर्ती जिले के उत्पाद।' मदों की उपरोक्त सूची के तहत आने वाली विशिष्ट वस्तु के लिए स्पष्टीकरण एम ओ यू के प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों के भाग–1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा।

3. विक्रेता जिन्हें सीमा हाट पर अपने उत्पाद बेचने के लिए नामित किया गया है, सीमा हाट की अवस्थिति से पांच (5) किलोमीटर की परिधि के अंदर के निवासी होंगे। खरीददार हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत किए जाने वाले स्नैक खाद्य/जूस जैसे तत्काल खपत योग्य मदों की पेशकश कर सकते हैं।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः–

इसमें भारत की कमलासागर, त्रिपुरा और बांग्लादेश की तारापुर कास्बा में दो नई सीमा हाट के माध्यम से दोनों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को प्रचालित किया जाता है।

(प्रवीर कुमार)

महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/93/180/11/ ए एम 12/ पी सी –2 (ख) से जारी)